रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय
जबलपुर (म0प्र0)

ऑनलाइन प्रवेश

सत्र 2024-25

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत पुस्तिका

कुलसचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय परिसर,

E-mail : rdvvcc1@rediffmail.com

Web Site : https://rdvv.mponline.gov.in

विश्वविद्यालय की शैक्षणिक अध्ययनशालाओं की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत

सत्र 2024-25

1. प्रयुक्ति:-

मार्गदर्शक सिद्धांत विश्वविद्यालय की सभी शासकीय और शैक्षणिक अध्ययनशालाओं में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधानों के तहत सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त विभागाध्यक्ष इनका पालन सुनिश्चित करेंगें। जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश/नियम/विनियम में प्रवेश पात्रता हेतु अन्यथा उल्लेख हों, उदाहरणार्थ बी.सी.आई. वहाँ ये नियम अध्ययन शालाओं के सुसंगत पाठ्यक्रमों में लागू नहीं होंगे।

1.1 समस्त विभागों में प्रवेश उपरांत गरिमामयी प्रवेश उत्सव आयोजित किये जाएंगे, जिसमें प्रथम वर्ष के प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु मार्गदर्शी कार्यक्रम (Induction Program) आयोजित किये जायेंगे

2. पोर्टल की जानकारी:-

पंयजीन हेतु प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी पोर्टल **https://rdvv.mponline.gov.in** पर उपलब्ध रहेगी।

3. आयु संबंधी प्रावधान:-

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग ने वर्ष 2024-25 प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धांत के बिंदु क्रमांक 9.3 क,ख,ग,घ,ड़,च के तहत आयु संबंधी प्रावधानों को विलोपित किया गया है तथा उसके स्थान पर वर्ष 2018-19 से स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा हटाई गई है अर्थात सभी विद्यार्थियों के लिए आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा।

4. अर्हकारी परीक्षा 10+2 से संकाय/विषय परिवर्तन संबंधी निर्देश:-

सत्र 2024-25 के लिये विन्दु क्रमांक 04 को विलोपित किया जाता है।

5. स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश हेतु पात्रता:-

5.1 स्नातक स्तर हेतु:-

10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता निम्नानुसार होगी:-

सं.क्र.	10+2 अर्हकारी परीक्षा	स्नातक कक्षा में प्रवेश
1	विज्ञान	विज्ञान संकाय के सुसंगत विषय/वाणिज्य संकाय/ कला संकाय/गृहविज्ञान संकाय/बी.बी.ए./बी.सी.ए. (गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के साथ अनिवार्य)
2	वाणिज्य	वाणिज्य संकाय/कला संकाय/गृहविज्ञान संकाय/ बी.बी.ए./ बी.सी.ए.(गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के साथ

		अनिवार्य)
3	कला	कला संकाय/गृहविज्ञान संकाय/बी.बी.ए./बी.सी.ए. (गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के साथ अनिवार्य)
4	कृषि	कला संकाय/बी.एस.सी.(जीव विज्ञान समूह) (जीव विज्ञान समूह के एलाइड विषयों जैसे - माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलाजी, सीड टेक्नोलाजी आदि विषय) (टीप:- म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्रक्रमांक 394/73/सी.सी./2017 दिनांक 03.05.2018 के अनुसार)
5	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	कला संकाय/वाणिज्य संकाय/विज्ञान संकाय/गृह विज्ञान संकाय अंकसूची में दर्शित विषयों के अनुसार इस हेतु (बिंदु क्र. 5.16 का अवलोकन करें)

5.1.1. **पात्रता प्रमाण पत्र संबंधी स्पष्टीकरण**:-

10+2 का तात्पर्य मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल द्वारा आयोजित या अन्य राज्यों के विद्यालयों की इंटरमीडियट बोर्ड या 12 वीं बोर्ड की समकक्ष परीक्षा से है।

स्पष्टीकरण:- मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी आवेदक जिन्होंने मध्यप्रदेश राज्य से सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई./एम.पी. बोर्ड से मुक्त बोर्ड (Open Board)/एम.पी. बोर्ड/ पोर्टल पर प्रदर्शित मान्य बोर्ड से बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए किसी भी विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य राज्यों से बारहवीं उत्तीर्ण (10+2) विद्यार्थियों को नियमानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

5.1.2. आई.टी.आई. उत्तीर्ण आवेदक 12 वीं (10+2) समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्क्रमों में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

5.1.3. मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रं. 667/175/सी.सी./18/38 दिनांक 10.07.2018 द्वारा बी.सी.ए. में प्रवेश हेतु 10+2 परीक्षा किसी भी संकाय (कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं जीवविज्ञान) में उत्तीर्ण विद्यार्थी गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश हेतु पात्र होंगे। (10+2) परीक्षा की अंकसूची में गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के रूप में दर्ज हो।)

5.1.4. मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल से पूर्व के हायर सेकेण्ड्री (ग्यारहवीं) उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.1.5. यू.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार ही विद्यार्थी पात्र होंगे।

5.1.6. व्यावसायिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण आवेदक:- माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विज्ञान से मिलते जुलते विषय जैसे लेबोरेट्री मेडिसिन मैनेजमेंट एवं सिस्टम एनालिसिस, क्लीनिकल बॉयोकेमेस्ट्री, माइक्रोबॉयलॉजी एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम तथा कम्प्यूटर से संबंधित विषय और प्रिटिंग ऑफ डाटा-प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम

एनालिसस, डी.टी.पी. पैकेज प्रोग्रामिंग, वर्कशाप प्रैक्टिस आदि सम्मिलित है। उपरोक्त विषयों के साथ मध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम 10+2 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही संबंधित संकाय में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऑनलाईन पंजीयन के समय संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए किए गए ऑनलाईन आवेदन की पावती अपलोड करना आवश्यक होगा। किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता प्रमाण-पत्र संबंधी निर्धारण में संदेह होने पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण-पत्र को अंतिम माना जायेगा। विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार प्रवेश के समय आवेदक की पात्रता का परीक्षण का संपूर्ण दायित्व संबंधित विभागाध्यक्ष का होगा। आवेदन का तात्पर्य यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक प्रवेश की पात्रता पूर्ण करता है।

5.2 **स्नातकोत्तर स्तर हेतु**:-

स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एम.ए./एम.कॉम./एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार रहेगी।

सं.क्र.	कक्षा	अर्हकारी परीक्षा
1	एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर	बी.एस.सी. संबंधित विषय के साथ
2	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण (किसी भी संकाय में)

5.2.1. **<u>पात्रता प्रमाण पत्र संबंधी स्पष्टीकरण:-</u>** मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर में प्रवेश हेतु पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। मध्यप्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्य के विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

5.2.2. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार ही विद्यार्थी पात्र होंगे।

5.2.3. शासकीय/अशासकीय सेवारत अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु अपने नियोक्ता से कार्यालयीन समय में एवं अतिरिक्त समय में अध्ययन हेतु (NOC) अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्यत: देय होगा।

6. प्रवेश प्रक्रिया:-

विश्वविद्यालय की शैक्षणिक अध्ययनशालाओं के स्नातक प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में सत्र 2024-25 हेतु केन्द्रीकृत ऑनलाईन प्रवेश की व्यवस्था होगी। सत्र 2024-25 प्रवेश प्रक्रिया में दो मुख्य चरण एवं दो यू.एल.सी. चरण संचालित किये जायेगे। ऑनलाईन प्रवेश व्यवस्था में सर्वप्रथम आवेदक को अपना ऑनलाईन पंजीयन, ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से जारी समय सारणी अनुसार निर्धारित समयावधि में अनिवार्यत: कराना होगा।

6.1. **<u>पंजीयन, पंजीयन शुल्क भुगतान एवं नामांकन प्रक्रिया</u>**:-

6.1.1. ऑनलाईन पंजीयन, की कार्यवाही के अंतर्गत स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदक को विश्वविद्यालय द्वारा घोषित विषय-समूह (गणित/जीवविज्ञान/वाणिज्य/कला/गृहविज्ञान

इत्यादि) का चयन करना होगा जिनमें आवेदक प्रवेश चाहता है। इसी प्रकार स्नातकोत्तर स्तर पर कक्षाओं में प्रवेश हेतु ऑनलाईन पंजीयन की कार्यवाही के साथ विषय चयन एवं अध्ययनशाला का चयन करना होगा।

6.1.2. विश्वविद्यालय द्वारा जारी समय सारणी अनुसार आवेदक ऑनलाइन पंजीयन कर सकेंगे। प्रवेश प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। आवेदक अपना पंजीयन ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से स्वयं या कियोस्क द्वारा कर सकेंगे।

6.1.3. पंजीयन के पश्चात आवेदक आवेदन का प्रिंट आउट प्राप्त कर समस्त प्रविष्टियों जैसे- नाम, माता/पिता का नाम, जन्मतिथि (10 वीं/12 वीं की अंकसूची के अनुसार) श्रेणी,वर्ग, प्राप्तांक, मोबाईल नंबर एवं अधिभार प्रमाण पत्र की जानकारी इत्यादि की सावधानीपूर्वक जाँच कर लें एवं सुनिश्चित करें कि दर्ज जानकारी एवं स्पेलिंग पूर्णत: सही है। दर्ज प्रविष्टियों की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।

6.1.4. स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी स्नातक अंतिम वर्ष/अंतिम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश हेतु वार्षिक पद्धति के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष/सेमेस्टर पद्धति के प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक के कुल अंकों के प्राप्तांकों का प्रतिशत ऑनलाईन पंजीयन के समय दर्ज करना होगा। प्रथम एवं द्वितीय चरण तथा यू.एल.सी. चरण में स्नातक अंतिम वर्ष/अंतिम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम तथा वार्षिक पद्धति के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष/सेमेस्टर पद्धति के प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर के कुल अंकों की प्रवीण्यता प्राप्तांकों के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

6.1.5. प्रवेश प्रक्रिया के मध्य परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में आवेदकों को स्वयं/अभिभावक को उपस्थित होकर हेल्पसेन्टर के माध्यम से पोर्टल पर अद्यतन परीक्षा परिणाम अंकित कराना एवं सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा।

6.1.6. पंजीयन शुल्क का भुगतान निम्नानुसार देय होगा:-

सं.क्र.	शुल्क	राशि
1	पंजीयन शुल्क	330/-
2	पोर्टल शुल्क	150/-

आवेदकों द्वारा पंजीयन शुल्क का भुगतान ऑनलाईन डिजिटल माध्मय से ही किया जा सकेगा। तत्पश्चात् ही ऑनलाईन ई-सत्यापन होगा।

6.2. पंजीयन हेतु पूरक प्राप्त विद्यार्थियों संबंधी निर्देश:-

कक्षा 12 वीं में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को भी प्रावधिक प्रवेश के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है। प्रवेश प्रक्रिया संचालन के मध्य पूरक परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित होने पर उन्हें आगामी चरण/यू.एल.सी. में अपने ऑनलाईन आवेदन को अद्यतन करने के साथ ही

पाठ्यक्रम की च्वाईस फिलिंग एवं दस्तावेज/प्रमाण पत्र को स्कैन कर अनविार्यत: ऑनलाईन अपलोड करना होगा।

6.2.1. प्रवेश प्रक्रिया के यू.एल.सी. चरण तक आवेदकों के पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित न होने की स्थिति में इन विद्यार्थियों को स्थान रिक्त रहने पर ही प्रावधिक प्रवेश दिया जा सकेगा।

6.3. **पाठ्यक्रम चयन प्रक्रिया**:-

सत्र 2024-25 की ऑनलाइन ई-प्रवेश प्रक्रिया में पंजीयन के समय आवेदक न्यूनतम 1 एवं अधिकतम 7 पाठ्यक्रमों का चयन करते हुए विकल्प चयन (च्वाइस फिलिंग) कर सकेंगे।

6.4. पंजीयन हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया:-

पंजीयन के समय आवेदक को ई-सत्यापन हेतु निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करना होगा (स्पष्ट एवं पठनीय)-

(अ) अंक सूची-न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा स्नातक प्रथम वर्ष हेतु बारहवीं, स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर हेतु स्नातक अंतिम वर्ष/षष्ठम सेमेस्टर (मार्गदर्शिका की कण्डिका 6.4.1. का अवलोकन करें)

(ब) जाति प्रमाण पत्र- (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) यदि लागू हो तो (मार्गदर्शिका की कण्डिका 6.4.2. का अवलोकन करें)

(स) संवर्ग प्रमाण पत्र- (दिव्यांग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संबंधी/उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के पाल्य आदि) यदि लागू हो तो (मार्गदर्शिका की कण्डिका 6.4.3. का अवलोकन करें)

(द) अधिभार संबंधी प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो (मार्गदर्शिका की कण्डिका 6.4.4. का अवलोकन करें)

<u>अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में निर्देश एवं स्पष्टीकरण</u>

6.4.1. <u>अंक सूची संबंधी:-</u>

(अ) स्नातक स्तर में कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण आवेदकों की कूल अंकसूची के अभाव में पंजीयन के समय आवेदक की इन्टरनेट से डाउनलोड की गई स्वप्रमाणित अंक सूची मान्य होगी।

(ब) स्नातकोत्तर स्तर में प्रवेश हेतु स्नातक अंतिम वर्ष/षष्ठम (छठवे) सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में आवेदक प्रावधिक प्रवेश हेतु केवल स्नातक द्वितीय वर्ष/पंचम (पांचवे) सेमेस्टर की अंकसूची अपलोड करेंगे।

6.4.2. <u>जाति प्रमाण पत्र संबंधी:-</u>

आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 352/243/आउशि/शा-5अ/2019 भोपाल दिनांक 13.06.2019 के अनुक्रम में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के पास उनके स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में आवेदक के पिता के नाम पर जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र को प्रवेश आवेदन में पंजीयन हेतु मान्य किया गया है।

(अ) ऑनलाइन पंजीयन के समय आवेदक के स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में पिता के नाम का स्थायी जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा। उसके पश्चात् ही प्रवेश हेतु जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन एवं लाभ प्राप्त हो सकेगा।

(ब) आवेदक का डिजिटल जाति प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पूर्व के वैध जाति प्रमाण पत्र भी सत्यापन हेतु मान्य किये जावेंगे।

6.4.3. <u>संवर्ग प्रमाणपत्र संबंधी:-</u>

संवर्ग प्रमाण पत्र का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक मार्कदर्शिका के बिंदु क्रं. 24 का आवश्यक रूप से अवलोकन करें तत्पश्चात् ही पंजीयन के समय प्रमाण पत्र अपलोड करें।

6.4.4. <u>अधिभार हेतु प्रमाण पत्र संबंधी:-</u>

(अ) स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अधिभार हेतु आवेदक स्कूल स्तर के विगत चार क्रमिक सत्र (अर्थात सत्र 2020-21 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे।

(ब) स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के अधिभार हेतु स्नातक स्तर में आवेदक के विगत तीन क्रमिक सत्र (अर्थात सत्र 2021-22 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे।

(स) एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिभार का लाभ एक ही वर्ग से दिया जायेगा। आवेदक सर्वाधिक अधिभार वाला प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड करें।

(द) अधिभार का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक मार्गदर्शिका के बिंदु क्रं. 25 का आवश्यक रूप से अवलोकन करें तत्पश्चात् ही पंजीयन के समय प्रमाण पत्र अपलोड करें।

<u>6.4.5. मूल निवासी संबंधी:-</u>

(अ) मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे मूल निवासी आवेदक जिन्होंने कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं की परीक्षा मध्यप्रदेश राज्य से उत्तीर्ण की है, उन्हें पंजीयन के समय मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ब) मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे मूल निवासी जिन्होंने कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं की परीक्षाएं अन्य प्रदेश में अध्ययन कर उत्तीर्ण की हैं किंतु वे मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हें पंजीयन के समय मध्यप्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र अनिवार्यत: अपलोड करना होगा, अन्यथा उन्हें मध्यप्रदेश के मूल निवास का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

(स) ऐसे आवेदक जिन्होंने 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा मध्य प्रदेश राज्य से उत्तीर्ण की है किंतु आवेदक अन्य राज्य का निवासी है। उन्हें पंजीयन के समय म.प्र. का मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। मूल निवास प्रमाण पत्र न होने अथवा प्रक्रियाधीन होने की स्थिति में उन्हें मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी होने संबंधी निर्धारित प्रपत्र में स्वप्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करना होगा अन्यथा उन्हे मध्य प्रदेश के मूल निवासी का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

6.5. <u>पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों की ऑनलाईन सत्यापन प्रक्रिया:-</u>

(अ) पंजीकृत आवेदकों को दस्तावेजों के सत्यापन हेतु विश्वविद्यालय में आने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक के दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया विश्वविद्यालय के हेल्पसेंटर के माध्यम से ऑनलाइन संपन्न की जावेगी।

(ब) सत्र 2024-25 से ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया में सत्यापन की प्रक्रिया हेतु स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के आवदकों के ऑनलाइन पंजीयन फार्म का अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर विश्वविद्यालय के हेल्पसेन्टर द्वारा ऑनलाईन सत्यापन किया जावेगा।

(स) आवेदक पंजीयन के समय आवश्यक प्रमाण पत्रों/अधिभार हेतु दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करेंगे। आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि अपलोड प्रमाण पत्र/दस्तावेज पूर्णत: स्पष्ट एवं पठनीय हो।

6.5.1. **ऑनलाईन सत्यापन संबंधी निर्देश:-**

(अ) ऑनलाईन सत्यापन हेतु विश्वविद्यालय का हेल्पसेन्टर ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदकों के पंजीयन फार्म के सत्यापन हेतु अपलोड किए गए प्रमाण पत्र/दस्तावेजों को डाउनलोड कर परीक्षण उपरांत संबंधित अधिकारी "सत्यापन पूर्ण" के बॉक्स पर क्लिक करेंगे, जिससे आवेदक का ऑनलाईन सत्यापन सुनश्चित हो सकेगा।

(ब) सत्यापन अधिकारी ऑनलाइन सत्यापन संबंधी कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा के एक दिवस पूर्व तक पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

(ब) आवेदक का फार्म ऑनलाईन सत्यापित होते ही इसकी सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाईल नं./ई-मेल पर संदेश के माध्यम से प्रेषित की जावेगी।

(स) आवेदक स्वयं भी अपने लॉगिन आई.डी. से आवेदन फार्म के ऑनलाईन सत्यापन की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

6.5.2. **<u>असत्यापित/त्रुटिपूर्ण आवेदन संबंधी निर्देश:-</u>**

(अ) यदि किसी आवेदक के पंजीयन आवेदन पत्र में त्रुटि है या अपलोड किए गए आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज अस्पष्ट/अपर्याप्त/अपूर्ण पाये जाते है तो ऐसी स्थिति में आवेदन फार्म का ऑनलाईन सत्यापन नहीं किया जा सकेगा।

(ब) संबंधित सत्यापनकर्ता अधिकारी ऐसे आवेदन पत्रों को त्रुटिपूर्ण/असत्यापित आवेदन फार्म की सूची में रखेंगे। ऐसे त्रुटिपूर्ण प्रकरणों की जानकारी का संधारण किया जायेगा। ऐसे आवेदक जिनके दस्तावेजों में अस्पष्टता या त्रुटि पाई जाती है, इस आशय की सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाईल/ई-मेल पर प्रेषित करनेका दायित्व संबंधित आई.टी. सेल का होगा। सत्यापनकर्ता अधिकारी आवेदक के आवेदन फार्म को "असत्यापित या त्रुटिपूर्ण" वर्ग में क्लिक करेंगे। इसकी सूचना आवदक को पंजीकृत मोबाईल/ई-मेल पर संदेश के माध्यम से भी दी जावेगी।

(स) ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय सारणी अनुसार आवेदक स्वयं/अभिभावक मूल दस्तावेजों के साथ विश्वविद्यालय के हेल्पसेन्टर में उपस्थित होकर त्रुटि सुधार/पुन: सत्यापित करवा सकेंगे। हेल्पसेन्टर ऐसे आवेदकों के पंजीयन आवेदन में त्रुटि सुधार कर उनके सही दस्तावेज अपलोड कर, पुन: विकल्प चयन करवाकर, पुन: सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करेंगे। इसके पश्चात ऑनलाईन सत्यापन पर्ची (ऑनलाईन वेरिफिकेशन स्लिप) आवेदक को दी जावेगी।

(द) आवेदक का फार्म ऑनलाईन सत्यापित होने की सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाईल/ई-मेल पर संदेश के माध्यम से प्रेषित की जावेगी। आवेदक स्वयं भी अपने लॉगिन आई.डी. से आवेदन फार्म के ऑनलाईन सत्यापन की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

(य) सत्यापन के समय अपूर्ण जानकारी युक्त/अनावश्यक दोहराव/एक जैसे पंजीयन आवेदन आने पर सत्यापनकर्ता अधिकारी उसे ऑनलाइन उपलब्ध कराये गये गार्वेज टैब पर प्रेषित करेंगे जिससे विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अनावश्यक लंबित आवेदन न हों।

(र) अपवाद स्वरूप सत्यापन के पश्चात परंतु ऑनलाईन शुल्क जमा करने के पूर्व यदि कोई त्रुटि/विसंगति संज्ञान में आती है तब मूल दस्तावेजों से परीक्षण कर विश्वविद्यालय के सहायता केन्दों (हेल्पसेन्टर) के माध्यम से त्रुटि सुधार हेतु की जायेगी।

(ल) निर्धारित तिथियों में पंजीकृत/सत्यापित आवेदकों को ही गुणानुक्रम अनुसार विश्वविद्यालय में प्रवेश आवंटन हेतु सम्मिलित किया जायेगा।

6.6. ऑनलाईन गुणानुक्रम अनुसार आवंटन सूची का प्रकाशन:-

सत्र 2024-25 से विन्दु क्रमांक 6.6 को विलोपित किया जाता है।

6.6.1. <u>प्रवेश आवंटन हेतु गुणानुक्रम एवं प्राथमिकता का निर्धारण:-</u>

(अ) गुणानुक्रम का निर्धारण-

स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांक एवं अधिभार यदि कोई देय हो तो अधिभार को जोड़कर समग्र अंकों के आधार पर गुणानुक्रम का निर्धारण किया जाएगा। सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिये पृथक-पृथक गुणानुक्रम सूची तैयार की जाएगी।

(ब) स्नातकोत्तर कक्षा में प्राथमिकता का निर्धारण:-

किसी एक विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण नियमित विद्यार्थी को अन्य किसी दूसरे संकाय के विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में स्थान रिक्त रहने की दशा में ही पात्रतानुसार यू.एल.सी. चरण में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे आवेदक प्रथम चरण में पंजीयन कर सकेंगे परन्तु आवश्यक दस्तावेज/प्रमाणपत्र अपलोड करने एवं पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया यू.एल.सी. चरण की निर्धारित समय सीमा में ही कर सकेंगे। अगर कोई आवेदक किसी विषय में नियमित प्रवेश लेकर किसी कारणवश अध्ययन जारी नहीं रखता है या छोड़ देता है तो उसे पुन: उसी विषय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

6.6.2. <u>प्रथम चरण में प्रवेश हेतु सीट आवंटन प्रक्रिया:-</u>

(अ) ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया में विश्वविद्यालय के प्रथम चरण की आवंटन सूची पोर्टल पर उनकी लॉगिन आई.डी. पर उपलब्ध रहेगी। शुल्क भुगतान उपरांत आवेदक द्वारा प्रवेश निरस्त कराने पर ऐसे विद्यार्थियों की सूची भी पोर्टल पर प्रदर्शित होगी।

(ब) प्रथम चरण में सभी ई-सत्यापित आवेदकों को गुणानुक्रम एवं उनके संकाय/विषय के आधार पर विश्वविद्यालय में प्रवेश आवंटन, ऑनलाईन प्रवेश समय सारणी अनुसार पोर्टल पर जारी किये जावेंगे।

(स) इसकी सूचना आवेदकों को उनके द्वारा पंजीयन के समय दर्ज मोबाईल नं./ई-मेल पर संदेश के द्वारा दी जायेगी साथ ही, आवेदक अपना प्रवेश आवंटन आवश्यक रूप से प्रवेश पोर्टल पर स्वयं भी लॉगिन पासवर्ड से चेक कर आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।

(द) आवंटन प्राप्त होने के उपरांत प्रवेश के लिए आवेदकों को विश्वविद्यालय में जाने/प्रवेश शुल्क भुगतान हेतु लिंक इनीशिएट कराने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु ऑनलाईन विषय चयन के उपरांत प्रवेश शुल्क (विश्वविद्यालय के नामांकन शुल्क सहित) का भुगतान ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन डिजिटल विकल्पों का उपयोग करते हुए समय-सारणी अनुसार निर्धारित तिथि तक कर सकेंगे।

(य) प्रवेश पोर्टल से शुल्क जमा करने की पुष्टि होने पर ही आवेदक का नाम विश्वविद्यालय की प्रवेश सूची में दर्शित होगा।

6.7. **संकाय आवंटन पश्चात् प्रवेश शुल्क भुगतान के पूर्व आवेदकों द्वारा ऑनलाईन विषय चयन किये जाने संबंधी निर्देश:-**

6.7.1. आवेदकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में नवीन पाठ्यक्रम अनुसार सर्वप्रथम ऑनलाईन विषय चयन की प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्व पात्रतानुसार तीन मुख्य विषय पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे। आावेदक आवंटित तीन मुख्य विषय को ही चयनित कर सकता है। आवेदक अभिरूचि अनुसार तीन मुख्य विषय में से किसी एक के स्थान पर अन्य संकाय से तीसरे मुख्य विषय का चयन भी कर सकता है। आवेदक को किसी भी संकाय से एक जैनरिक विषय एवं एक व्यावसायिक विषय अथवा वैकल्पिक विषय का चयन करना स्वैच्छिक होगा। इसके साथ ही आवेदक को अनिवार्यत: प्रोजेक्ट आदि के अंर्तगत टॉप डाउन मेन्यू में दर्शाये गये विकल्प में से किसी एक का चयन करना होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मध्य प्रदेश के सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षा सत्र 2021-22 से लागू की गयी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में योग्यता एवं कौशल संर्वधन हेतु आधार पाठ्यक्रम एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम स्नातक प्रथम वर्ष का समावेश किया गया है।

संकायवार विद्यार्थी तीन विषय के विषय समूह का चयन करेगा इसके पश्चात प्रवेश हेतु उन तीन विषयों में से कोई एक विषय मुख्य विषय (Major Subject) एवं दूसरा विषय गौड विषय (Minor Subject) के रूप में लेना अनिवार्य है। तीसरा विषय वैकल्पिक विषय (Elective Subject) के रूप में लिया जा सकता है अथवा इसके स्थान पर अपने संकाय विषयों के अतिरिक्त अन्य

दो संकायों की वैकल्पिक विषयों की सूची से किसी एक विषय का चयन किया जा सकता है। विद्यार्थी की वैकल्पिक विषय के चयन में विशेष सावधानी रखना होगी।

कोई एक विषय का चयन व्यवसायिक पाठ्यक्रम के रूप में चयन किया जा सकता है। इसके साथ ही परियोजना कार्य/ शिक्षुता/ प्रशिक्षुता/ सामुदायिक जुडाव में से किसी एक का चयन करना होगा

प्रश्न पत्र	**प्रश्न पत्रों की संख्या**	**क्रेडिट**
मुख्य विषय	दो प्रश्न पत्र	6+6=12
गौण विषय	एक प्रश्न पत्र	6
वैकल्पिक विषय	एक प्रश्न पत्र	6
आधार पाठ्यक्रम	दो प्रश्न पत्र	4+4=8
व्यवसायिक पाठ्यक्रम	एक प्रश्न पत्र	4
परियोजना कार्य/ शिक्षुता/ प्रशिक्षुता/ सामुदायिक जुडाव	निर्धारित प्रक्रिया अनुसार	4
	कुल क्रेडिट	40

निम्नलिखित विन्दुओं पर विशेष ध्यान दें-

स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विषय चयन में विशेष सावधानी रखी जायें

1. सर्वप्रथम तीन विषयों के विषय समूह से किसी एक विषय समूह का चयन।
2. चयन किये गये विषय समूह से प्राथमिकता के आधार पर
   - (i) एक विषय मुख्य विषय के रूप में
   - (ii) एक विषय गौड विषय के रूप में
   - (iii) सामान्य वैकल्पिक विषय (**Generic Open Elective)** शेष बचा हुआ तीसरा विषय, वैकल्पिक विषय के रूप में चयन करें अथवा अन्य संकाय की वैकल्पिक विषय की सूची से किसी एक विषय का चयन किया जा सकता है।
   - (iv) आधार पाठ्यक्रम
   - (v) व्यवसायिक पाठ्यक्रम (किसी एक विषय का चयन करना होगा।)
   - (vi) परियोजना कार्य/ शुक्षिता/ प्रशुक्षिता

6.7.2. आवेदक द्वारा विषय चयन करने के उपरांत ऑनलाईन प्रवेश/नामांकन शुल्क के लिए लिंक स्वत: इनिशिएट हो जावेगी। आवेदक ऑनलाईन शुल्क भुगतान कर प्रवेश सुनिश्चित कर सकेंगे।

6.8. <u>ऑनलाईन प्रवेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) भुगतान प्रक्रिया:-</u>

(अ) आवेदक द्वारा पंजीयन करते समय छात्रवृत्ति का लाभ लेने हेतु पूर्व(माध्यमिक स्तर पर) में प्रदान की गयी स्कालरशिप आई डी दर्ज करना होगा।

(ब) ऐसे बालिकांये जिन्होंने स्कूल स्तर पर लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ लिया है। प्रवेश शुल्क भुगतान के पूर्व लाडली लक्ष्मी योजना का चयन कर लाभ प्राप्त कर सकेगी।

(स) सत्र 2024-25 में जनभागीदारी द्वारा संचालित स्ववित्तीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले आवेदक यदि अनुसूचित जाति/ अनुसूचति जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के अंर्तगत आते तो उन्हें शुल्क जमा करते समय ही पात्रता अनुसार मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/ मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना/ मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का चयन कर शुल्क भुगतान करना होगा।

(द) आवेदक को ऑनलाईन विषय चयन करने के उपरांत प्रवेश शुल्क की प्रथम किश्त राशि रूपये 1,000/- (नामांकन शुल्क सहित)ऑनलाईन जमा करना होगा। इसके साथ ही आवेदक को नामांकन के लिए ऑनलाईन पोर्टल पर ही अपनी सहमति दर्ज करनी होगी। जिससे आवेदकों को पृथक से नामांकन के लिए आवेदन नहीं करना होगा। प्रवेश शुल्क की शेष राशि एक किश्त में विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि में डिजिटल माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना एवं कोविड-19 बाल कल्याण योजना के आवेदकों के लिए प्रक्रिया कण्डिका 13.1, 13.2 एवं 13.3 के अनुसार होगी।

(य) चयनित विषय के आधार पर प्रवेश शुल्क का भुगतान आवेदक नेट बैकिंग/केडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/यू.पी.आई. के माध्यम से स्वयं कर सकेगा या उपरोक्त सुविधा उपलब्ध न होने पर कियोस्क के माध्यम से शुल्क भुगतान कर प्रवेश प्राप्त कर सकेगा।

(र) प्रवेश शुल्क (नमांकन शुल्क सहित) भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होते ही आवेदक को प्रवेश प्राप्त होने की सूचना पंजीकृत मोबाईल नं./ई-मेल पर प्राप्त होगी।

6.8.1. **<u>शुल्क भुगतान उपरांत ऑनलाईन एडमिशन स्लिप के प्रिंट आउट लेने संबंधी:-</u>**

आवेदक द्वारा ऑनलाईन एडमिशन स्लिप का प्रिंट आउट ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के पश्चात प्राप्त किया जा सकेगा,यह प्रवेश प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे आवेदक यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उनके प्रवेश की प्रविष्टि पोर्टल पर हो चुकी है। एडमिशन स्लिप का बाद में पोर्टल से प्रिंट लिया जा सकता है। आवेदक को प्रवेश रसीद (एडमिशन स्लिप) का प्रिंट लेने के तत्काल बाद विश्वविद्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। इस हेतु मार्गदर्शिका की कण्डिका 6.9 का अवलोकन करें।

6.8.2. **<u>प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्शन फेल होने की दशा में आवश्यक निर्देश:-</u>**

आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से किये गये पंजीयन/प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्शन यदि फेल होता है तो इस राशि की वापसी उसी बैंक खाते में जावेगी जिस बैंक खाते से आवेदक ने भुगतान किया है। प्रवेश शुल्क का ट्राजेक्शन फेल होने की स्थिति में आवेदक का प्रवेश सुनिश्चित नहीं होगा। अत: ट्रांजेक्शन के फेल होने की स्थिति में आवेदक को पुन: पोर्टल के

माध्यम से निर्धारित समय सीमा में प्रवेश शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा आवेदक का नाम प्रवेश सूची में दर्शित नहीं होगा।

6.9. **विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार प्रवेशित विद्यार्थियों द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय** के शिक्षण विभागों **में रिपोर्टिंग प्रकिया:-**

विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अध्यापन कार्य आरंभ होने के पश्चात् उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय-सीमा में प्रवेशित विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के **शिक्षण विभागों** में उपस्थित होकर मूल/डुप्लीकेट टी.सी. एवं माईग्रेशन जमा करना अनिवार्य होगा।निर्धारित समय-सीमा में जमा न करने की स्थिति में प्रवेश स्वत: निरस्त माना जाएगा।

6.10 विश्वविद्यालय **स्तर पर संचालित सर्टिफिकेट कोर्स चयन प्रक्रिया-**

विश्वविद्यालय स्तर पर संचालित 6 माह के सर्टिफिकेट कोर्स में संस्था में प्रवेशित नियमित विद्यार्थी ही प्रवेश प्राप्त कर सकेगे। ऐसे विद्यार्थियों की जानकारी विश्वविद्यालय स्तर से सर्टिफिकेट कोर्सवार ऑनलाइन पोर्टल पर प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के 30 दिवस की समयावधि में अद्यतन करना अनिवार्य होगा।

7. **द्वितीय चरण में रिक्त स्थानों पर प्रवेश हेतु पुन: विकल्प चयन एवं आवंटन प्रक्रिया:-**

प्रथम चरण पश्चात् द्वितीय चरण में प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम/वर्गवार रिक्त स्थानों की जानकारी प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।

7.1. **पुन: विकल्प चयन प्रक्रिया**:-

7.1.1. प्रथम चरण के पश्चात् द्वितीय चरण में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिक्त स्थानों हेतु पूर्व से पंजीकृत आवेदकों (जिन्होंने प्रवेश नहीं लिया है अथवा जिन्हें आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है।) के लिए पुन: ऑनलाईन पाठ्यक्रम के चयन का विकल्प रहेगा।

7.1.2. आवेदक स्वेच्छानुसार अपनी पूर्व वरीयताएँ बदल सकेंगे, परन्तु प्रथम चरण में यदि किसी आवेदक को उसकी दर्शायी हुई प्रथम विषय च्वाइस में प्रवेश नहीं लेता है, ऐसी स्थिति में द्वितीय चरण में उसे तब तक स्वत: विषय च्वाइस आवंटित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अपनी च्वाइस/विकल्प पुन: न भर दे।

7.1.3. पुन: वरीयता हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।

7.1.4. आवेदक जिन्होंने पूर्व में अपना पंजीयन नहीं कराया है। समय-सारणीअनुसार पंजीयन शुल्क का भुगतान कर पंजीयन/दस्तावेज अपलोड/पाठ्यक्रम चयन/ई-सत्यापन पश्चात् द्वितीय चरण में प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। इस हेतु आवेदक प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया के बिंदु क्रमांक 6 में उल्लेखित कण्डिका 6.1 से 6.10 तक का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तद्नुसार ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण करें।

7.2. **आवंटन प्रक्रिया**:-

7.2.1. द्वितीय चरण में विश्वविद्यालय की कुल वास्तविक सीटों के विरूद्ध आवंटन की प्रक्रिया सत्र 2024-25 से विन्दु क्रमांक 7.2.1 को विलोपित किया जाता है।

7.2.2. ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल विश्वविद्यालय को द्वितीय चरण की आवंटन सूची पोर्टल पर उनकी लॉगिन आई.डी. पर उपलब्ध रहेगी।

7.2.3. समय सारणी अनुसार द्वितीय चरण में प्रवेश संबंधी समस्त प्रक्रिया प्रथम चरण अनुसार ही सम्पन्न की जायेगी।

8. **<u>ऑनलाईन द्वितीय/तृतीय चरणों में विश्वविद्यालय के रिक्त स्थानों पर प्रवेश हेतु पुन: विकल्प चयन एवं आवंटन प्रक्रिया</u>**:-

8.1. द्वितीय/तृतीय चरण में प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम/वर्गवार रिक्त स्थानों की जानकारी प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।

8.2. पंजीकृत आवेदक को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से द्वितीय/तृतीय चरण में विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम की वरीयता दर्ज करनी होगी।

8.3. प्रथम एवं द्वितीय चरण का विश्वविद्यालय में मूल सीटों के विरूद्ध शेष रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रदान किया जाएगा।

8.4. द्वितीय/तृतीय चरण में समय-सारणी अनुसार द्वितीय चरण के पश्चात् रिक्त आरक्षित सीटों पर प्रवेश नियम कंडिका 24.1 से 24.9 का पालन सुनिश्चित करते हुए संबंधित आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध न होने पर उक्त सीटें कंडिका 24.11 के प्रावधानों के निहित समय-सारणी अनुसार सामान्य वर्ग के आवेदकों हेतु परिवर्तित की जायेगी।

8.5. आवेदक जिन्होंने पूर्व में अपना पंजीयन नहीं कराया है। समय-सारणी अनुसार पंजीयन शुल्क का भुगतान कर पंजीयन/दस्तावेज अपलोड/पाठ्यक्रम चयन/ई-सत्यापन पश्चात् द्वितीय/तृतीय चरणो की प्रथम प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। इस हेतु आवेदक प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया के बिंदु क्रं. 6 में उल्लेखित कण्डिका 6.1 से 6.10 तक का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तद्नुसार ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण करें।

8.6. ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल आवंटन सूची पोर्टल पर उनकी लॉगिन आई.डी. पर उपलब्ध रहेगी।

8.7. द्वितीय/तृतीय चरणो में समय सारणी अनुसार प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय स्तर पर प्रावीण्य सूची जारी कर नियमानुसार सम्पन्न की जाएगी।

9. **<u>रूक जाना नहीं अंतर्गत प्रवेश:-</u>**

ई-प्रवेश प्रक्रिया के दौरान परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में रूक जाना नहीं योजना अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदक, स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु ऑनलाईन पंजीयन एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान/दस्तावेज अपलोड/पाठ्यक्रम चयन कर ई-प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। विश्वविद्यालय स्तर पर ई सत्यापन पश्चात् ऐसे आवेदक अर्हता पूर्ण होने पर गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश हेतु पात्र होंगे। परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में ऐसे आवेदक स्वाध्यायी (प्राइवेट) छात्र के रूप में शामिल होकर, अगले वर्ष पात्रता पूर्ण करने एवं स्थान रिक्त होने की दशा में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।

10. <u>शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर पाल्यों के प्रवेश:-</u>

कंडिका 21.1(अ) में उल्लेखित शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पाल्य को विश्वविद्यालय में आवेदित कक्षा में स्थान रिक्त होने पर प्रचलित सत्र के दौरान प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु संबंधित शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासकीय सेवक के स्थानान्तरण के पश्चात् निर्धारित मुख्यालय के किसी भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त न होने पर कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा से अनुमति प्राप्त कर सम्बद्ध पाल्य को प्रवेश दिया जा सकेगा।

11. <u>पूरक प्राप्त आवेदकों के प्रवेश:-</u>

11.1. ऑनलाईन यू.एल.सी. चरण में अर्हकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त आवेदकों हेतु रिक्त सीटों पर पात्र आवेदक उपलब्ध न होने पर ही गुणानुक्रम के आधार पर प्रावधिक प्रवेश हेतु ऑनलाईन यू.एल.सी. चरण में प्रवेश दिया जावेगा।

11.2. प्रावधिक प्रवेश के लिए अर्हताकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त उन्हीं आवेदकों पर विचार किया जायेगा जिन्होंने अपना पंजीयन/दस्तावेज अपलोड/पाठ्यक्रम चयन/ई-सत्यापन निर्धारित तिथियों में ही करवा लिया है।

11.3. पूरक प्राप्त विद्यार्थियों का निर्धारित तिथि तक परीक्षा परिणाम घोषित न होने की दशा में गुणानुक्रम के आधार पर अवसर प्राप्त होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश लेना होगा। स्थान रिक्त होने पर यू.एल.सी. चरण में प्रावधिक प्रवेश दिया जा सकेगा।

(नोट- इस हेतु पूरक परीक्षा परिणाम वाली अंक सूची ही ऑनलाईन पंजीयन के समय अपलोड करनी होगी।)

12. म.प्र. शासन द्वारा विद्यार्थियों के प्रवेश हु हितग्राही योजनाएं:-

12.1. मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी (MMVY) योजना:-

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक 866/342/सी.सी./2017 दिनांक 24 जून 2017 के तहत प्रदेश के प्रतिभाशाली आवेदकों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किए जाने के अनुक्रम में सत्र 2017-18 से मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना संचालित है। इस योजना का क्रियान्वयन तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियमों के तहत किया गया है।

13.1.1.पात्रता की शर्तें:-

I. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

II. विद्यार्थी के पिता/पालक की वार्षिक आय छः लाख रूपये से कम हो।

III. विद्यार्थीने 12 वीं परीक्षा मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल से 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक तथा सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. बोर्ड से 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की हो।

13.1.2. योजना का स्वरूप:-

यह योजना स्नातक स्तर में प्रवेशप्राप्त करने हेतु लागू की गई है। योजना के संबंध में अन्य आवश्यक दिशा निर्देश/पात्रता संबंधी समय-समय पर जारी शासन के निर्देशों का पालन किया जावेगा। स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश प्राप्त होने पर छात्र को इस योजनान्तर्गत संस्थाओं को देय शुल्क के रूप में प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क (मैस शुल्क एवं कॉसन मनी को छोड़कर) जो शुल्क विनियामक समिति अथवा म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार/ राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, का ही भुगतान किया जावेगा। (म.प्र.शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का पत्र क्रं. एफ 5-6/2017 /42(1) भोपाल दिनांक 05.06.2018)

13.1.3. स्पष्टीकरण:-

प्रवेश प्राप्त पात्र विद्यार्थियों को केवल मैस शुल्क एवं कॉशन मनी का भुगतान करना होगा तथा अन्य शुल्क जैसे (नामांकन शुल्क सहित)एवं परीक्षा शुल्क राज्य शासन द्वारा देय होगा। विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क की प्रविष्टि हेतु पिछली परीक्षा के शुल्क को आधार माना जा सकता है।

13.2. **मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना (MMJKY)**:-

मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के तहत म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के आदेश क्रं. एफ-14-2/2008/42-2 दिनांक 21 अगस्त 2018 के तहत प्रवेश दिया जावेगा। इस हेतु समय समय पर जारी आदेशों का पालन भी सुनिश्चित किया जावेगा।

13.2.1. **पात्रता की शर्तें:-**

i. यह योजना केवल स्नातक स्तर पर प्रदान की जावेगी।
ii. विद्यार्थी के माता/पिता का म.प्र. शासन के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकारकार के रूप में पंजीयन होना अनिवार्य है।

13.2.2. **योजना का स्वरूप:-**

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 525/484/आउशि/शा-5'अ'/2018 भोपाल दिनांक 30 जून 2018 के तहत राज्य शासन के समस्त शासकीय विश्वविद्यालय, शासकीय महाविद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित स्नातक (प्रथम/द्वितीय/ तृतीय वर्ष) एवं स्नातकोत्तर(प्रथम/द्वितीय वर्ष) के पारम्परिक एवं स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में नि:शुल्क प्रवेश (लेकिन मेस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) दिया जावेगा।

13.2.3. स्पष्टीकरण:-

स्नातक/स्नातकोत्तर के पात्र विद्यार्थियों को इस योजनान्तर्गत प्रवेश प्राप्त होने पर केवल मैस शुल्क एवं कॉशन मनी का भुगतान करना होगा तथा अन्य शुल्क जैसे प्रवेश शुल्क

(नमांकन शुल्क सहित) एवं परीक्षा शुल्क राज्य शासन द्वारा देय होगा। विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क की प्रविष्टि हेतु पिछली परीक्षा के शुल्क को आधार माना जा सकता है।

13.2.4. **विद्यार्थियों हेतु महत्वपूर्ण:-**

उपरोक्त दोनों योजनाओं (मेधावी/जनकल्याण) के लाभ प्राप्त करने से पूर्व विद्यार्थी राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य हितग्राही योजनाओं का भली भांति अध्ययन करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क भुगतान के समय इन योजनाओं का चयन करें।

13.3. **मुख्यमंत्री कोविड-19 बालकल्याण योजना:-**

मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग, वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक 1373/2021/50-2, भोपाल दिनांक 21/05/2021 के अनुसार।

13.3.1. योजना का उद्देश्य (परिशिष्ट 1):-

इस योजना का उद्देश्य बच्चों को आर्थिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन निर्वाह करते हुये अपनी शिक्षा निर्विध्न रूप से पूरी कर सकें। यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू की गयी है।

13.3.2. परिभाषा (परिशिष्ट 3):-

परिवार से प्रभिप्राय पति-पत्नि और उन पर आश्रित बच्चों से है, (परिशिष्ट 3.1)

बाल हितग्राही से अभिप्रदाय ऐसे बालक/बालिका जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे कम है, परन्तु स्नातक में अध्ययनरत रहने की स्थिति में 24 वर्ष या स्नातक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि तक, इनमें से जो भी कम हो (परिशिष्ट 3.2) और जिनके माता-पिताकी कोविड-19 से मृत्यु हुई हो (पिरिशिष्ट 3.2.1.) या माता-पिता का निधन पूर्व में हो गया हो गया था तथा उनके वैध अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो (परिशिष्ट 3.2.2.) या माता-पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दूसरे की कोविड-19 से मृत्यु हुई है।

(परिशिष्ट 3.2.3.) "कोविड-19 से मृत्यु" का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है जो 01 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में हुयी।

13.3.3. योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि (परिशिष्ट 4)

प्रभावित परिवार मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी हो, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं हो, बाल हितग्राही के मृतक माता/पिता ऐसे शासकीय सेवक या शासकीय उपक्रम के सेवक न हों जिन्हें पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन पाने की पात्रता हो।

13.3.4. बाल हितग्राही के मृतक माता/पिता/अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु होने से, वे अनाथ हो गय है, को उच्च शिक्षा सहायता निम्नानुसार देय होगी (परिशिष्ट 5.3.2.):-

(अ) शासकीय अथवा केन्द्र/राज्य शासन से अनुदानित विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में हितग्राहियों को प्रवेशशुल्क, परीक्षा शुल्क सहित अन्य समस्त वार्षिक वास्तविक शुल्क (मेस शुल्क सहित) का लाभ देय होगा साथ ही कौशन मनी जमा कराने से छूट रहेगी। बाल

हितग्राहियों का प्रवेश नि:शुल्क होगा। समस्त शुल्क की संबंधित संस्था को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(ब) ऐसे निजी विश्वविद्यालय/अशासकीय महाविद्यालयों में जहाँ शुल्क का निर्धारण मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा नियत किया जाता है। उनमें अध्ययनरत होने पर उक्त कंडिका 'अ' के अनुसार समस्त वार्षिक वास्तविक शुल्क या रूपये 15,000 जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति बाल हितग्राही के आधार लिंक्ड बैंक खाते में की जावेगी।

13.3.5. इस योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थी जो पूर्व से किसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हैं, उन्हें भी योजना लागू वर्ष से लाभ प्रदान किया जा सकेगा। (परिशिष्ट 5.3.4.)

13.3.6. यह स्पष्ट किया जाता है कि बाल हितग्राही को उच्च शिक्षा हेतु किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने पर उसे पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षों के लिए ही शिक्षा प्राप्ति संबंधी लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी। (परिशिष्ट 5.3.5.)

13.3.7. शासन की अन्य योजनाओं का लाभ-मुख्यमंत्री, कोविड-19, बाल कल्याण योजना का लाभ, बाल हितग्राहियों को शासन की अन्य योजनाओंके अंतर्गत देय लाभ के अतिरिक्तहोगा किंतु बाल हितग्राही को शिक्षा शुल्क आदि का दोहरा भुगतान किसी अन्य योजना से नहीं होगा। (परिशिष्ट 8)

13.4. **लाडली लक्ष्मी योजना 2.0:-**

इस योजना के अंर्तगत पंजीकृत छात्राओं को स्नातक एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 25000/- की प्रोत्साहन राशि 02 समान किश्तो में पाठ्यक्रम के प्रथम एवं तृतीय वर्ष में दी जायेगी। लाडली लक्ष्मी बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु स्नातक स्तर तक का शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जायेगा।

13.4.1 **योजना का उदेश्य-**

1. मध्य प्रदेश में लिगांनुपात सूचकांक में सुधार लाना।
2. आम जनता में बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करना।
3. समाज में बालिकाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना।
4. बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिये एक अच्छी नींव प्रदान करना।

13.4.2 **पात्रता की शर्ते-**

1. 01 जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात जन्मी बालिका।
2. माता-पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो।
3. माता-पिता आयकर दाता न हों।
4. माता-पिता जिनकी 02 या 02 से कम संतान हो, द्वितीय संतान के जन्म के पश्चात परिवार नियोजन अपनाया गया हों।

विशेष- उपरोक्त पात्रता शर्तो के अतिरिक्त पात्रता हेतु लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 में उल्लेखित विशेष प्रकरण संबंधी प्रावधान नियमानुसार लागू होंगे।

13.4.3 **योजना का लाभ-**

1. लाडली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के पश्चात स्नातक अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में (पाठ्यक्रम अवधि न्यूनतम दो वर्ष) प्रवेश लेने पर रूपये 25000/- की प्रोत्साहन राशि दो समान किश्तों में पाठ्यक्रम के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दी जायेगी।

2. लाडली बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जायेगा।

14. स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश संबंधी प्रावधान:-

सत्र 2024-25 से विश्वविद्यालय को स्ववित्तीय पाठ्यक्रम में यदि संसाधनों में कमी/कठिनाई है तो प्रवेश हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी-

14.1. सत्र 2024-25 के स्नातक प्रथम वर्ष में यदि किसी पाठ्यक्रम/विषय समूह में प्रवेश 20 या अधिक संख्या में है तभी उक्त पाठ्यक्रम में सत्र 2024-25 में प्रवेश दिया जायेगा।(अर्थात 20 से कम प्रवेशित संख्या वाले पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।)

14.2. सत्र 2024-25 के स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में यदि किसी विषय में प्रवेश 10 या अधिक संख्या में है तभी उक्त विषय में सत्र 2024-25 में प्रवेश दिया जायेगा। (अर्थात 09 या 09 से कम प्रवेशित संख्या वाले विषय में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।)

14.3. सत्र 2024-25 के सभी नवीन पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष में संख्या का बंधन नहीं होगा।

15. प्रावधिक प्रवेश हेतु पात्रता:-

15.1. स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।

15.2. स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी स्नातक अंतिम वर्ष/छठवें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश हेतु प्रथम एवं द्वितीय वर्ष/प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक के प्राप्तांकों का प्रतिशत ऑनलाईन पंजीयन के समय दर्ज करना होगा। गुणानुक्रम का निर्धारण प्रावधिक प्रवेश हेतु दर्ज प्राप्तांकों के आधार पर ही होगा। स्नातक अंतिम वर्ष में पूरक प्राप्त विद्यार्थी स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में स्थान रिक्त होने पर प्रावधिक प्रवेश के लिये पात्र होंगे।

15.3. विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थियों के प्रथम सेमेस्टर में विश्वविद्यालय के परीक्षा फार्म भरने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी द्वारा नियमानुसार अर्हकारी परीक्षा पूर्ण रूप से उत्तीर्ण कर ली गई है। अर्हकारी की परीक्षा (स्नातक पाठ्यक्रम) में किसी भी स्तर पर पूरक/ए.टी.के.टी. प्राप्त छात्र स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म भरने हेतु पात्र नहीं होंगे।

15.4. प्रावधिक प्रवेश प्राप्त आवेदक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सीट आवंटित होने पर स्वयं के दायित्व/जिम्मेदारी पर प्रवेश लेंगे। स्नातक तृतीय वर्ष/षष्ठम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम से गुणानुक्रम में परिवर्तन होने की स्थिति में प्रवेशित विद्यार्थी को विषय बदलने का अधिकार नहीं होगा अथवा अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में प्रावधिक रूप से प्रवेशित विद्यार्थी नियमित प्रवेश से वंचित हो जाएगा।

15.5. स्नातक प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के नियमों की पात्रता के अनुसार क्रमाश: स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

16. **प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया**:-

विश्वविद्यालय में स्नातक द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के प्रवेश नवीनीकरण का कार्य संबंधित पाठ्यक्रम के परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस की समय सीमा में ऑनलाईन यू.टी.डी. एडमिशन पोर्टल के माध्यम से सम्पादित किया जाएगा।

पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों हेतु निम्न प्रावधान होंगे:-

16.1. **स्नातक स्तर हेतु:-**

पात्र विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में ही ऑनलाईन प्रवेश दिया जायेगा। शेष वर्षों में (द्वितीय व तृतीय वर्ष)/शेष सेमेस्टरों में (तृतीय व पंचम सेमेस्टर) प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया होगी। यह प्रक्रिया पूर्णत: ऑनलाईन ही होगी।

16.1.1. सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत तृतीय/पंचम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु पिछले सेमेस्टर में उत्तीर्ण/ किसी भी एक सेमेस्टर में दो तथा एक विषय में अधिकतम चार विषयों में ए.टी.के.टी. प्राप्त विद्यार्थी को प्रवेश की पात्रता होगी। लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्न पत्रों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।

16.2. **नवीनीकरण शुल्क संबंधी:-**

नियमानुसार संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नवीनीकरण हेतु पात्र विद्यार्थियों को ऑन लाईन प्रमोट किया जाएगा। स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थी पात्रतानुसार 500/- प्रथम किश्त के रूप में ऑनलाईन जमा कर प्रवेश प्राप्त करेंगे। स्नातक स्तर पर MMVY/MMJKY के विद्यार्थी नि:शुल्क प्रवेश हेतु ऑनलाईन पोर्टल पर योजना का बटन क्लिक कर प्रवेश प्राप्त करेंगे। स्नातकोत्तर स्तर पर MMJKY के विद्यार्थी नि:शुल्क प्रवेश हेतु ऑनलाईन पोर्टल पर योजना का बटन क्लिक कर प्रवेश प्राप्त करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 68/17/ आउशि/आई.टी./19 भोपाल, दिनांक 05.03.2020 के तहत निर्धारित समस्त विद्यार्थियों को प्रवेश नवीनीकरण हेतु पोर्टल शुल्क रूपये 30/- देय होगा। प्रवेश शुल्क की शेष राशि संबंधित विश्वविद्यालय आरंभ होने पर ऑनलाईन जमा की जावेगी।

16.3. सत्र 2022-23 से मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना (कण्डिका 13.3) के अन्तर्गत नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों को नि:शुल्क प्रवेश दिया जाना है।

16.4. शासकीय सेवक के स्नानान्तरित होने पर उनके पाल्यों के प्रवेश संबंधी निर्देश:-

कंडिका 21.1(अ) में उल्लेखित शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर प्रदेश में वार्षिक/ सेमेस्टर पद्धतिके अंतर्गत अध्ययनरत उनके पाल्यों को पाठ्यक्रम के बीच में स्नातक-स्तर पर प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र तथा आव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) प्रस्तुत करना होगा। स्नातकोत्तर-स्तर पर

प्रवेश के लिए आवेदक को संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा। शासकीय सेवक को अपने पाल्य को निर्धारित समयावधि में प्रवेश दिला चुके पाठ्यक्रम में ही पाठ्यक्रम के बीच में प्रवेश की पात्रता होगी।

16.5. स्वाध्यायी (प्राईवेट) से नियमित प्रवेश संबंधी प्रावधान:-

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक 97/380/सी.सी./14/38, दिनांक 16 फरवरी 2015 अनुसार ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी सत्र में नियमित प्रवेश से वंचित हो जाते है, वह विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में स्वाध्यायी छात्र के रूप में सम्मिलित हो सकते है तथा परीक्षा उपरांत विश्वविद्यालय में संबंधित कोर्स/विषय में स्थान रिक्त होने पर पात्रतानुसार स्नातक स्तर पर द्वितीय/तृतीय वर्ष में तथा तृतीय/पंचम सेमेस्टर में एवं स्नातकोत्तर स्तर पर (विज्ञान व प्रायोगिक विषयों को छोड़कर) तृतीय सेमेस्टर में नियमित प्रवेश ले सकेंगे।

16.5.1. राज्य शासन के आदेश क्रं. 1615/1929/2018/38-2, दिनांक 19.12.2018 के तहत ऐसे सभी नियमित/असंस्थागत विद्यार्थी जिन्होंने प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है वह सत्र 2024-25 में वार्षिक पद्धति के अंतर्गत स्नातक द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश ले सकेंगे तथा ऐसे सभी असंस्थागत विद्यार्थी जो सत्र 2023-2024 की स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे वे विद्यार्थी सत्र 2024-25 में स्नातक स्तर के द्वतीय/तृतीय वर्ष में स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश ले सकेंगे।

16.6. पूर्व छात्र (Ex-Student) के नियमित प्रवेश संबंधी निर्देश:-

जिन विद्यार्थियों को पूर्व छात्र की श्रेणी में रखा था वे आगामी सेमेस्टर/वर्ष की मुख्य परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे। उत्तीर्ण होने की दशा में जुलाई माह में प्रारंभ होने वाले सत्र में स्थान रिक्त होने पर नियमानुसार शुल्क जमा करने पर नियमित प्रवेश दिया जाएगा।

16.7. पूर्व छात्र (Ex-Student) के प्रवेश की स्थिति निर्मित होने पर विश्वविद्यालय में स्थान रिक्त न होने की दशा में विश्वविद्यालय से स्थान (सीट) वृद्धि की अनुमति प्राप्त कर नियमानुसार प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

16.8. विश्वविद्यालय स्तर पर संचालित सर्टिफिकेट कोर्स चयन प्रक्रिया:- विश्वविद्यालय स्तर पर संचालित छ: माह के सर्टिफिकेट कोर्स में संस्था में प्रवेशित नियमित विद्यार्थी ही प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे विद्यार्थियों की जानकारी महाविद्यालय स्तर से सर्टिफिकेट कोर्सवार ऑनलाईन पोर्टल पर प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के 30 दिवस की समयावधि में अद्यतन करना अनिवार्य होगा।

17. स्नातक कक्षाओं में ए.टी.के.टी./पूरक से संबंधित प्रवेश नियम:-

17.1. सेमेस्टर के अंत में संबंधित सेमेस्टर की सभी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक(जहॉ लागू हो) विषयों में ए.टी.के.टी. प्राप्त आवेदकों की परीक्षा होगी। वार्षिक पद्धति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात सत्र के दौरान एक विषय सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहॉ लागू हो) में पूरक प्राप्त आवेदकों की परीक्षा होगी।

17.2. वार्षिक पद्धति में एक विषय में अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी को पूरक की पात्रता होगी तथा पूरक प्राप्त आवेदकों को विश्वविद्यालय के नियमानुसार अगले वर्ष में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी। पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर प्रावधिक प्रवेश निरस्त माना जावेगा।

17.3. सेमेस्टर पद्धति में विद्यार्थी एक समय में चार ए.टी.के.टी. के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेगा, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक विषयों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।

17.4. स्नातक पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के संबंध में म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रं. 1868/198/सीसी/17/38, दिनांक 09.10.2017 के प्रावधान लागू होंगे।

18. स्नातकोत्तर कक्षाओं में ए.टी.के.टी. से संबंधित प्रवेश नियम:-

18.1. सेमेस्टर के अंत में निर्धारित सभी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहॉ लागू हो) प्रश्न पत्रों की परीक्षा होगी।

18.2. दो प्रश्न पत्रों में (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जहॉ लागू है) अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी को ए.टी.के.टी. की पात्रता होगी, अर्थात विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर में स्वत: प्रवेश मिल सकेगा।

18.3. विद्यार्थी एक समय में चार ए.टी.के.टी. के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेगा, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्न पत्रों में ए.टी.के.टी की पात्रता नहीं होगी।

18.4. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमकी अधिकतम अवधि के संबंध में म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक 1868/198/सीसी/17/38 दिनांक 9.10.2017 के प्रावधान लागू होंगे।

19. प्रवेश सीट संख्या का निर्धारण:-

19.1. विश्वविद्यालय में कक्षा/विषयवार सीट संख्या का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

19.2. इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

19.3. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में निर्धारित तिथियों में संस्था में संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम, विषय समूह निर्धारित सीट संख्या एवं पाठ्यक्रमवार/वर्गवार प्रवेश शुल्क (संबंधित विश्वविद्यालयके नामांकन शुल्क सहित) एवं नवीनीकरण की पृथक-पृथक विस्तृत जानकारी के साथ विश्वविद्यालय का बैंक खाता क्रमांक, आई.एफ.एस.सी. कोड आदि की जानकारी अनिवार्य रूप से ऑनलाईन विभागीय **(https://rdvv.mponline.gov.in)** पोर्टल पर दर्ज/अद्यतन कर लॉक करेंगे।

20. समकक्ष बोर्ड संबंधी प्रवेश नियम:-

20.1. सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एज्यूकेशन (सी.बी.एस.ई.)/इण्डियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेण्ड्री एज्यूकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथ अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्डकी 10+2 की परीक्षाएं, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है।

20.2. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की ई-प्रवेश प्रक्रिया के पोर्टल से सम्बद्ध होने के लिए देश के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड को मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल से समकक्षता

प्रमाण पत्र प्राप्त कर, विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात् ही ऐसे बोर्ड ऑनलाईन ई-प्रवेश पोर्टल पर मान्य सूची में प्रदर्शित होंगे, ऑनलाईन प्रवेश पोर्टल पर प्रदर्शित बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पंजीयन कर ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।

20.3. विदेशी बोर्ड से अर्हकारी(10+2) परीक्षा उत्तीर्ण आवेदक ने यदि मध्यप्रदेश के शासकीय/ अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्षमें पंजीयन करवाया है ऐसी स्थिति में आवेदक को केन्द्र सरकार नई दिल्ली द्वारा जारीसमकक्षता प्रमाण पत्र अपलोड करने पर पात्रता अनुसार ई-प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया जा सकेगा।

20.4. सामान्यत: भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) के सदस्य हैं, कि समस्त परीक्षाएं राज्य के विश्वविद्यालयों की परीक्षा के समकक्ष मान्य होगी।

20.5. संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता विहीन महाविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता-विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की परीक्षा/उपाधि मान्य नहीं होगी।

20.6. माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विज्ञान से मिलते जुलते विषय विषय, जैसे लेबोरेट्री मेडिसिन मैनेजमेंट एवं सिस्टम एनालिसिस, क्लीनिकल बॉयोकेमेस्ट्री, माइक्रोबॉयलाजी एण्ड मैंनेजमेंट सिस्टम तथा कम्प्यूटर से संबंधित विषय और प्रिटिंग ऑफ डाटा-प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालिसिस, डी.टी.पी. पैकेज प्रोग्रामिंग, वर्कशाप प्रैक्टिस आदि सम्मिलित है। उपरोक्त विषयों के साथ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम 10+2 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही संबंधित संकाय में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन की पावती अपलोड करना आवश्यक होगा। किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता संबंधी निर्धारण में संदेह होने की संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता पत्र को अंतिम माना जायेगा। विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार प्रवेश के समय आवेदक की पात्रता के परीक्षण का संपूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय के कुलसचिव का होगा। आवंटन का तात्पर्य यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक प्रवेश की पात्रता पूर्ण करता है।

20.7. मध्य प्रदेश संस्कृत बोर्ड की 'उत्तर माध्यमा परीक्षा' को हायर सेकेण्डरी परीक्षा के समकक्ष माना जाये।

21. प्रवेश की पात्रता:-

21.1. निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा

(अ) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी, मध्यप्रदेश में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी, राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय सेवक, राष्ट्रीकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन मध्यप्रदेश में हो, उनके पाल्यों एवं जम्मू

कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों/भूटान के विद्यार्थियों को महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ब) उपरोक्तानुसार प्रवेश के पश्चात स्थान रिक्त होने की दशा में अन्य स्थानों के बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार प्रवेश दिया जा सकेगा।

(स) संबंधित विश्वविद्यालय या उस विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों/ महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही विश्वविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(द) जम्मू कश्मीर के विस्थापितों एवं उनके पाल्य/पाल्या के लिये निम्न प्रावधान लागू होंगे।

1. प्रवेश की अंतिम तिथि में अधिकतम 30 दिन की छूट।
2. न्यूनतम प्रवेश प्राप्तांकों में अधिकतम 10 प्रतिशत की छूट, अगर आवेदक पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करता हो। (विधि पाठ्यक्रमों को छोड़कर)
3. उपलब्ध स्थानों में पाठ्यक्रमवार 5 प्रतिशत की वृद्धि।
4. स्थानीय निवासी होने की अनिवार्यता से पूर्ण छूट।
5. द्वितीय और आने वाले वर्षों में आवजन की सुविधा।
6. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में मेरिट के आधार पर एक प्रतिशत का आरक्षण।

(य) प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए All India Council for Technical Education (AICTE), New Delhi द्वारा प्रदेश में (12 B of UGC Act, के तहत मान्य) विश्वविद्यालय में दो अधिसंख्या सीटों का सृजन कर प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है। उक्त विद्यार्थियों को सीट आरक्षण के बाद प्रवेश देने के पूर्व सम्बद्ध विश्वविद्यालय अनुसार पात्रता सुनश्चित करने का संपूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

22. **विशेष प्रकरण संबंधी प्रवेश हेतु पात्रता/अपात्रता**:-

22.1. किसी भी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को (विधि संकाय को छोड़कर) अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है।

22.2. जिन आवेदकों के विरूद्ध न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हैं या चालान प्रस्तुत किया जा चुका हो, परीक्षा में या पूर्व सत्र में विद्यार्थी/अधिकारी/कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर प्रमाणित आरोप हो या उनमें चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हो तो ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

22.3. विश्वविद्यालय में तोड़-फोड़ करने या विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने के प्रमाणित दोषी और रैगिंग के प्रमाणित आरोपी विद्यार्थियों को भी प्रवेश नहीं मिलेगा। रैगिंग के संदर्भ में यू.जी.सी. के ज्ञापन क्रं. एफ-1-16/2007 (सी.पी.पी.11) अप्रेल 2009 के मार्गदर्शी निर्देशों का पालन अनिवार्य है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र क्रं. 829/469/आउशि/शा-

1/08 दिनांक 18 जून 2008 के अनुसार जीरो टालरेंस पॉलिसी (Zero Tolerance Policy) लागू रहेगी।

22.4. ट्रान्सजेडर को केवल सह-शिक्षा (Co-Education) में ही प्रवेश दिया जावेगा।

22.5. पूणकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधिमेंलगने वाले पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है। लेकिन दैनिक अवधि के उपरांत लगने वाले पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

23. **बाह्य राज्य के आवेदकों हेतु प्रवेश नियम**:-

23.1. स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी./बी.एस.सी. (गृहविज्ञान) में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता हैं, किंतु संबंधित विश्वविद्याल/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय-समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो तो संबंधित परीक्षण के पश्चात ही नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।

23.2. मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष अथवा द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा, राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर की प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा एवं तिथि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीयवर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद उन्हीं विषय/विषयों/विषय-समूह की अगली कक्षामें स्थान रिक्त होने की स्थिति में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।

23.3. राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा। शपथ-पत्र में फर्जी, किसी भी तरह की झूठी/गलत जानकारीपाये जाने की दशा में संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में आगामी तीन वर्ष तक प्रवेश से वंचित कर दिया जावेगा।

23.4. राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश के पूर्व कुलसचिव द्वारा संबंधित राज्यों एवं स्थानीय आरक्षी केन्द्रों के माध्यम से पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य है।

23.5. विश्वविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में अध्ययनरत संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

23.6. जिन विषयों में प्रवेश के लिए प्रदेश के विद्यार्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, उन विषयों में अन्य राज्य के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

23.7. प्रवेश उपरांत महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में प्रवेशित विद्यार्थियों को रिपोर्टिंग के समय संबंधित अध्ययनशाला में स्थानांतरण प्रमाण पत्र/आब्रजन प्रमाण पत्र/शपथ-पत्र/पुलिस सत्यापन/चरित्र प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

24. **आरक्षण:-**

मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप आरक्षण निम्नानुसार होगा:-

24.1. आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार यदि अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में आता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें अप्रभावित रहेगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी अन्य संवर्ग जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो संबंधित संवर्क की सीट उसे विशिष्ट आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी। संबंधित विशिष्ट संवर्ग की शेष सीटें पात्रतानुसार भरी जायेंगी।

24.2. अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमश: 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।

24.3. पिछड़ वर्ग (क्रीमी-लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिए 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। (मध्य प्रदेश राजपत्र क्रमांक 349 भोपाल दिनांक 14.08.2019) में प्रकाशित संशोधन क्रमांक 13681-227-इक्कीस-अ(प्रा.) अधि.दिनांक 13.08.2019 द्वारा संशोधित आदेश पर याचिका क्रमांक डब्लू.पी. 5901/2019 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन लागू किया जायेगा।)

24.4. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियोंएवं पौत्र/पौत्रियों/नातियों/नातिनों, भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से नि:शक्त हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों एवं भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence Personnel) के आश्रितों/सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए तथा इन वर्गों के दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 05 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इससे सम्बद्ध दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाए, परंतु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा-

1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित।
2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप्से अपंग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित
3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित।
4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से नि:शक्तजन तथा उनके आश्रित।
5. निम्न शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित-परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मेडल, वीर चक्र, शौर्यचक्र, युद्ध सेवा मेडल, सेना, नौसेना/वायु सेना मैडल पत्रों में उल्लेख।
6. राष्टपति का वीरता हेतु पुलिस मैडल।
7. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।

8. कार्यरत सैनिकों के आश्रित।

24.5. दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे परंतु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान से ही उपलब्ध कराया जायेगा। दिव्यागों को प्रवेश के समय अहंतादायी अंको में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। दिव्यांग आवेदकों को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र (जिसमे 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांग का उल्लेख हो) पंजीयन के समय अपलोड करने पर इस श्रेणी का लाभ लिया जा सकेगा।

24.6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS-Economically Weaker Section):- आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 07-11/2019/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 एवं आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र कमांक 444/243/आउशि/शा-5'अ'/ 2019 भोपाल दिनांक 15 जुलाई 2019 के अनुक्रम में दिया जायेगा।

24.7. एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण पत्र उत्तीर्ण आवेदकों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर विश्वविद्यालय में स्वीकृत स्थान का 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा।

24.8. सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

24.9. मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा उसके अधीनस्थ शासकीय कार्यालय/विश्वविद्यालय, आयुक्त कार्यालय, उच्च शिक्षा में नियमित कार्यरत/सेवानिवृत्त/दिवंगत अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यों, प्राध्यापकों, ग्रंथपालों, क्रीड़ा अधिकारियों, रजिस्ट्रारों एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पाल्यों के लिए सभी संबंधित संवर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे।

24.10. आरक्षित स्थान का प्रतिशत यदि आधे से कम आता है तो उसी श्रेणी में आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। आधे से एक प्रतिशत के बीच आने पर ही आरक्षित स्थान की संख्या एक मानी जायेगी।

24.11. कंडिका 8.4 अनुसार यू.एल.सी. चरण में समय सारणी अनुसार पूर्व में वर्णित आरक्षित श्रेणी के रिक्त स्थान अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के आवेदकों हेतु परिवर्तित किये जावेंगे।

24.12. समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।

24.13. ऐसे पाठ्यक्रम जिनके अध्यादेश में प्रवेश लिखित परीक्षा के माध्यम से दिया जाना उल्लेखित हो, पात्र आवेदकों को पोर्टल पर पंजीयन कराते हुए संबंधित संख्या एवं पाठ्यक्रम वरीयता दर्ज करना होगा। संबंधित संस्था पंजीकृत आवेदकों को प्रवेश परीक्षा आयोजित कर नियमानुसार प्रवेश देगी तथा प्रदेशित विद्यार्थियों की जानकारी पोर्टल पर अनिवार्यत: दर्ज करेंगी।

25. अधिभार:-

अधिभार गुणानुक्रम निर्धारण के लिए प्रदान किया जायेगा। पात्रता हेतु इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार के लिये सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों की जानकारी प्रवेश हेतु पंजीयन के लिए आवेदन-पत्र में

उल्लेख करना अनिवार्य है। सत्यापन के लिये पंजीयन आवेदन पत्र में उल्लेखित, संबंधित प्रमाण पत्र अनिवार्यतः अपलोड करने होंगे। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिकार का लाभ एक ही वर्ग में देय होगा।

25.1. एन.सी.सी./एन.एस.एस./ स्काउट्स (स्काउट गाईड्स/रेन्जर्स):-

क	एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'ए' सर्टिफिकेट	7 प्रतिशत
ख	एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'बी' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	7 प्रतिशत
ग	एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट	10 प्रतिशत
घ	राज्य स्तरीय (संचालनालयीन) एन.सी.सी. प्रतियोगिता	10 प्रतिशत
च	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में मध्यप्रदेश के एन.सी.सी./एन.एस.एस कॉन्टिनजेन्ट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	अर्हता पूर्ण होने पर प्रवेश दिया जायेगा।
छ	राज्यपाल स्काउट राष्ट्रपति स्काउट	10 प्रतिशत
ज	राष्ट्रपति स्काउट	अर्हता पूर्ण होने पर पात्रता अनुसार बिना किसी गुणानुक्रम के सीट निर्धारण के साथ आउटराइट प्रवेश प्रदान किया जायेगा।
झ	मध्यप्रदेश का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	
य	ड्यूक ऑफ एडिनबरा अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	
र	भारत के साथ अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने कैडेट	
ल	एन.सी.सी./एन.एस.एस. के तहत चयनित एवं प्रयास करने वाले कैडेट को अंतर्राष्ट्रीय जम्हूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	
व	भारतीय रेडक्रास सोसायटी द्वारा प्रमाणित उत्कृष्ट गतिविधियों के लिये	5 प्रतिशत

25.2.

ऑनर्स विषय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण विद्यार्थी के स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर	10 प्रतिशत

25.3.

भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा विज्ञान और कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित और प्रयास करने वाले दल के सदस्यों को	10 प्रतिशत
जम्मू कश्मीर के विस्थापित और उनके आश्रितों को	01 प्रतिशत

25.4. खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं:-

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला/संभाग स्तर पर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में:-		
क	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	10 प्रतिशत
ख	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	10 प्रतिशत
(2) उपर्युक्त कंडिका 29.4(1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग/राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर क्षेत्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) द्वारा आयोजित अन्तर क्षेत्रीय प्रतियोगिता (Inter Zonal) एवं मध्यप्रदेश राज्य खेल संघ द्वारा आयोजित अधिकृत राज्य स्तरीय/अन्तर संभाग/अन्तर जिला में:-		
क	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी/टीम के प्रत्येक सदस्य को	7 प्रतिशत
ख	जिले के दल से समाग का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	5 प्रतिशत
(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ एवं अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालयीन/ एस.जी.एफ.आई. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में:-		
क	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को	15 प्रतिशत
ख	प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी को	10 प्रतिशत

25.5.

भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एण्ड कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/ साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित और प्रयास करने वाले दल के सदस्यों को	10 प्रतिशत

25.6.

भारत सरकार से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित अधिकृत भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा 2 वर्ष में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में:-		
क	मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को	10 प्रतिशत
ख	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले	15 प्रतिशत

	मध्यप्रदेश के खिलाड़ी/दल के सदस्यों को	
(अधिकृत राष्ट्रीय चेम्पियनशिप से तात्पर्य राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा आयोजित किये जाने वाली राष्ट्रीय चेम्पियनशिप से है, जो वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है।)		

25.7.

जम्मू-कश्मीर के विस्थपितों और उनके आश्रितों को	1 प्रतिशत

25.8. विशेष प्रोत्साहन आउटराईट (Outright):-

साउथ एशियन गेम्स, भारत सरकार, युवा कार्यकम एवं खेल मंत्रालय द्वारा अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी तथा भारतीय ओलंपित संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अर्हता पूर्ण होने पर बिना किसी गुणानुक्रम (Outright) के उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है, जिनके वे पात्र है। संचालक खेल एवं युवक कल्याण म.प्र. के पत्र क्रं. 7678/खेयुक/2018 दिनांक 14.11.2018 के तहत खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी हेतु नियमों/अभिप्रमाणों को अद्यतन किया गया है।

1	साउथ एशियन गेम्स, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले पाले खिलाड़ी	अर्हता पूर्ण होने पर पात्रता अनुसार बिना किसी गुणानुक्रम के प्रवेश
2	भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी	
3	एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स	
4	ओलम्पिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप, साउथ एशियन गेम्स एवं साउथ एशियन चैम्पियनशिप तथा एसोसिएशन ऑफ इन्डियन यूनिवर्सिटीज (AIU) की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अथवा भाग लेने वाले विद्यार्थी को।	

25.9. पंजीयन आवेदन पत्र के साथ स्कैन कर अपलोड किये जा रहे दस्तावेजों के लिए पूर्व में ही अनिवार्य होगा कि -

1. खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अधिकृत प्रतियोगिताओं के प्रमाण का अभिप्रमाणन संबंधित जिले के जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी द्वारा किया जावे।

2. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्रों का अभिप्रमाणन संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
3. विश्वविद्यालय/भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्रों का अभिप्रमाणन संबंधित विश्वविद्यालय के संचालक, खेल द्वारा किया जाये।
4. केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्रों का अभिप्रमाणन संबंधित केन्द्रीय विद्यालय के कीड़ा अधिकारी द्वारा किया जावे।
5. एस.जी.एफ.आई. द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्रों का अभिप्रमाणन संबंधित जिले के जिला अधिकारी द्वारा किया जावे।
6. यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होने पंजीयन के अन्तर्गत उक्त जानकारी का उल्लेख किया है परन्तु इस प्रकार की सुविधा अन्य, अर्थात दूसरे स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए फिर एक नई उपलब्धि प्राप्त करना आवश्यक होगा।

25.10 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियागिताएं जिनमें राज्य सरकार सह-प्रायोजक हो, उसमें वहाँ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को अधिभार के प्रतिशत की गणना कण्डिका 25.4 (3) के अनुरूप होगी।

26. प्रवेश संबंधी विशेष प्रावधान:-

26.1. प्रवेश पश्चात् विश्वविद्यालय के अधिकार:-

26.1.1. जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर गलत जानकारी देकर, जानबूझकर अथवा छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश किसी आवेदक को यदि प्रवेश मिल जाता है, तब संज्ञान में आने पर ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।

26.1.2. प्रावधिक प्रवेश के मामले में विभागाध्यक्ष पृथक सूची तैयार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों ने वे सारी पूर्तियाँ पूरी कर ली है, जिनके अभाव में उन्हें तत्समय प्रावधिक प्रवेश दिया गया था।

26.1.3. नियमित प्रवेश लेने के बाद बिना किसी समुचित कारणा अथवा बिना पूर्व अनुमति या पूर्व सूचना के लगातार पन्द्रह दिवस तक ऑनलाईन/ऑफलाईन कक्षाओं में अनुउपस्थित हरेने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय का होगा। प्रवेश निरस्त करने से पूर्व संस्था द्वारा विद्यार्थी/अभिभावक को अनुपस्थिति की सूचना प्रदान करते हुए कारण जानना होगा। तदोपरांत ही समुचित कारण होने पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश

निरस्त करने संबंधी कार्यवाही की जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश निरस्त करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से भेजनी होगी।

26.1.4. प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 22.2 एवं 22.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरण में लिप्त विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे सस्था से निष्कासित करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।

26.2. **प्रवेश शुल्क वापसी की प्रक्रिया-**

शुल्क वापसी की प्रक्रिया का नियमानुसार पालन सुनिश्चित किया जावे।

26.2.1. प्रवेश पश्चात् शैक्षणिक सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ने/प्रावधिक प्रवेश पश्चात अनुत्तीर्ण घोषित होने/प्रवेश निरस्त होने की स्थिति में विद्यार्थी को प्रवेश प्रक्रिया शुल्क रुपये 150/- काटकर शेष जमा प्रवेश शुल्क (कॉशन मनी सहित) वापस किया जाएगा।

26.2.2. प्रवेश पश्चात् शैक्षणिक सत्र के दौरान विद्यार्थी के निष्कासन की स्थिति से विद्यार्थी को कॉशन मनी के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

26.2.3. प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थी का तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अन्यत्र प्रवेश हो जाने पर तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर विद्यार्थी को यू.जी.सी. के नोटिफिकेशन अक्टूबर 2018 के तहत विश्वविद्यालय द्वारा राशि वापिस की जावेगी।

रिमार्क:- यू.जी.सी. द्वारा सूचित वैधानिक प्रोफेशनल काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत माने जायेंगे।

26.3. हितग्राही योजना परिवर्तन:-

26.3.1. ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में पात्रता अनुसार मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन योजना/मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना में विद्यार्थी प्रवेशित महाविद्यालय में परिवर्तन कर सकेंगे। योजना परिवर्तन करने पर नियमानुसार प्रवेश शुल्क जमा/वापसी करना अनिवार्य होगा।

26.3.2. इस संबंध में विश्वविद्यालय विधिवत सूचना प्रसारित कर, प्राप्त आवेदन अनुसार कार्यवाही करेगा। विश्वविद्यालय द्वारा किये गये परिवर्तन की जानकारी निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन मॉड्यूल में भी दर्ज करनी होगी अन्यथा किये गये परिवर्तन मान्य नही होंगे।

26.4. **विषय/पाठ्यक्रम/संकाय परिवर्तन:-**

ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात् कुलपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में प्रवेशित महाविद्यालय में विद्यार्थियों हेतु पात्रता अनुसार संबंधित संकाय/कक्षा/विषय में स्थान रिक्त होने पर परिवर्तन संबधी कार्यवाही की जा सकेगी। निर्धारित समय सीमा में विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों पर पावता/गुणानुक्रम का उल्लंघन न होने की शर्त पर विषय/पाठ्यक्रम/संकाय में परिवर्तन की कार्यवाही की जा सकेगी। संबंधित ऑनलाइन मॉड्यूल पर निर्धारित समय सीमा में जानकारी अद्यतन करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में परिवर्तन मान्य नहीं किया जाएगा।

26.5. आकदमिक कैलण्डर कर पालन सुनश्चित करने की दृष्टि से ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के तत्काल बाद कुलसचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रवेशित विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन प्रवेश शुल्क समय सीमा में जमा किया गया है, साथ ही, यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विद्यार्थी केवल प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ही प्रवेश शुल्क जमा किया है। किसी आवेदक ने प्रवेश पोर्टल के माध्यम से प्रवेश शुल्क जमा न करते हुए विश्वविद्यालय के बैंक खाते में

प्रवेश शुल्क जमा कर दिया है ऐसी स्थिति में शुल्क जमा होने के तीन दिवस की अवधि में विश्वविद्यालय कार्यालय की अकादमिक शाखा की सूचित कर निराकरण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में प्रवेश मान्य नहीं किया जायेगा।

26.6. अकादमिक कैलेण्डर का पालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के बाद विश्वविद्यालय को प्रवेश पोर्टल से प्राप्त, ऑनलाईन प्रवेशित सूची में यदि किसी प्रकार की विसंगति दिखाई देती है तो प्रभारी आई.टी. सेल प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के 15 दिवस की समय सीमा में अनिवार्यत: आकदमिक शाखा, विश्वविद्यालय को पूर्ण तथ्यात्मक जानकारी, प्रमाण एवं प्रवेश पोर्टल से प्राप्त प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची सहित लिखित आवेदन निर्धारित समय अवधि में प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में ई-मेल द्वारा कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। उक्त समय सीमा की समाप्तिके उपरांत प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

26.7. प्रवेश निरस्तीकरण उपरांत विद्यार्थी को दिये गये स्थानांतरण प्रमाण-पत्र का ऑनलाईन मॉडयूल में प्रविष्टि करने संबंधी:-

एक बार प्रवेश प्राप्त कर लेने के पश्चात यदि आवेदक द्वारा विश्वविद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है तो इसकी जानकारी ऑनलाईन उपलब्ध करायें गये मॉड्यूल में देना अनिवार्य होगा, जिससे प्रवेशित आवेदकों की वस्तुस्थिति स्पष्ट रहे।

26.8. इन मार्गदर्शी सिद्धानी में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार कुलसचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय को आवश्यतानुसार मार्गदर्शी सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/स्पष्टीकरण जारी करने/समय सारणी घोषित एवं परिवर्तन करने/प्रवेश पोर्टल संबंधी जानकारी देने/प्रवेश संबंधी निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदत्त किया जाता है।

26.9. समय-समय पर म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियमों का पालन किया जावेगा।

कुलसचिव
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय
जबलपुर **(म.प्र.)**